

199

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल मण्डल ग्वालिबर संभाग रीवा मण्डल

श्री शिवहर सिंह  
कायदा/17-11-14



R-4011-III-14

रामजी उर्फ ददुदने यादव तयारी रामप्रताप यादव निवा सो ग्राम चकदहो तहो

रामपुरबाघे जिला सतना मण्डल-- -

निगराकार

ब्लॉक म  
=== =

सुधा देवी पत्नी राजेन्द्र शर्मा निवा सो ग्राम चकदहो त हो रामपुर बाघे

जिला सतना मण्डल - - - -

गेर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मण्डल 1959  
=====

निगरानी बिस्व अमर आयुक्त रीवा संभाग रीवा

मण्डल के राजपत्र क्रम 614 अमोल/12-13 पारित

आदेश दि 022.9.2014 को रद्द परमायें जाने

वा वत तथा अनुविभागीय अधीन तहो रामपुरबाघे

जिला सतना मण्डल के प, क्रम 19 अमोल/2012-13

में पारित आदेश दि 012.3.013 को यथावत रद्द

जाने वावत।

=====

मान्यवर:- निगराकार को और से निगरानी के निम्न आधार प्रस्तुत करी बयान है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

=====

यहिक विवादिता आ 0 नं 0 353/1 रकबा 2.55 ए. बा का मोजा चकदहो को आरानीजात है जो निगराकार को पौत्रिक सम्पत्ति है। जिसमे निगराकार के पूर्वजों

का रखायसो मकान बना हुआ है जिसमे निगराकार परिषार सहित निवासरत है।

लेकिन गेर निगराकार बदरा मुझ निगराकार के पौत्रिक सम्पत्ति का कूट रीच त

दस्तावेज तैयार कर अपने नाम न तमान्तरण करा लिया गया दि 0 22.8.08 को

==2==

*(Signature)*

796  
17-11-14

क्रमांक 3710  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 26-11-14  
कलकत्ता ऑफिस  
राजस्व मण्डल म प्र ग्वालिबर

*(Signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.4011-III/14

जिला-सतना

रामजी उर्फ दददी/सुधा देवी

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	